



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275415
CG-DL-E-12082026-275415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4264]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4264]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

का.आ. 4442(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.अ. 5722 (अ) तारीख 09.12.2025 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में धामरा - हल्दिया पाइप लाइन (डि एच पि एल)(जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन के विस्तार के रूप में) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदिशपुर - हल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना

अनुभाग - धामरा से हल्दिया

6(1) अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला	खण्ड	गांव	जे. ऐल. न	नक्शा	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल
						हेक्टेअर -आर-वर्ग मीटर	एकड़
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्व मेदिनीपुर	भगवानपुर-२	पड़ाचिंड़ा	155	एल आर	1176/2788	00 02 93	0.0723
पूर्व मेदिनीपुर	भगवानपुर-२	किस्मतबाजकुल	156	आर एस	6926	00 10 93	0.2700
					9112	00 04 31	0.1065
					1966	00 08 49	0.2097
					1969	00 01 16	0.0286
पूर्व मेदिनीपुर	भगवानपुर-१	शुकरुल्लापुर	167	एल आर	637	00 05 23	0.1293
पूर्व मेदिनीपुर	नंदीग्राम- ३	बराघुनी	105	आर एस	619	00 00 81	0.0200

[फा.सं. एल-14014/ 143/2022-जीपी-II (ई-43434)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

S.O. 4442(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 5722 (E) Dated 09.12.2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline (DHPL) as an expansion of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And, whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT

DHAMRA TO HALDIA SECTION

6(1) LAND SCHEDULE

STATE – WEST BENGAL

District	Block	Village	J.L. No.	Map	Survey No.	Area			
						Hect	Are	Sq.mt.	Acre
1	2	3	4	5	6	7			8
PURBA MEDINIPUR	BHAGWANPUR-2	PORACHINGRA	155	LR	1176/2788	00	02	93	0.0723
PURBA MEDINIPUR	BHAGWANPUR-2	KISMATBAJKUL	156	RS	6926	00	10	93	0.2700
					9112	00	04	31	0.1065
					1966	00	08	49	0.2097
					1969	00	01	16	0.0286
PURBA MEDINIPUR	BHAGWANPUR-1	SHUKRULLAPUR	167	LR	637	00	05	23	0.1293
PURBA MEDINIPUR	NANDIGRAM-3	BARA GHUNI	105	RS	619	00	00	81	0.0200

[F. No. L-14014/143/2022-GP-II (E-43434)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.